

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

कार्यालय प्रबन्धक,  
Aim Trust (एम ट्रस्ट)  
ग्राम रतहरा पोस्ट कस्ता,  
लखीमपुर-खीरी उ०प्र०

पत्रांक : के०जी०बी०वी० / 2569-73


/2023-24 दिनांक- 2-8-2023

विषय-बालिकाओं को निःशुल्क जीवन कौशल व आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने की अनुमति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 24.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु बेहजम तथा मितौली के 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 संविलियन विद्यालय तथा 2 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं को निःशुल्क जीवन कौशल एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपको संलग्न सूची के अनुसार विद्यालयों की बालिकाओं को उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि संस्था द्वारा अनुमोदित महिला प्रशिक्षुओं द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाये एवं बालिकाओं की सुरक्षा संरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। अन्यथा कि स्थिति में आपकी संस्था पूर्ण उत्तरदायी होगी।

भवदीय

  
(प्रवीण कुमार तिवारी)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखीमपुर-खीरी  
024

पृ०सं० व दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी।
2. मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बेहजम व मितौली लखीमपुर खीरी।
4. वार्डन के०जी०बी०वी० बेहजम व मितौली लखीमपुर खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखीमपुर-खीरी